न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/68

1. बोदूराम पुत्र श्री ग्यारसीलाल
2. ग्यारसीलाल पुत्र रामदेव
   निवासीयान ढाणी बागावाला पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राज0।

–अपीलांट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. तहसीलदार पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.07.2023 उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड प्रकरण संख्या 39/2023 उनवानी सरकार बनाम गोठी देवी व अन्य पारित किया गया।

उपस्थित–

1. श्री सीताराम यादव वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–01.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 07.07.2023 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नम्बर 649/0.19 में से 0.0050, 661/0.27, 650/0.18 में से 0.0060, 647/0.24 में से 0.0050, 648/0.16 में से 0.0080 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस भिजवाने जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 07.07.2023 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 07.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट बोदूराम पुत्र श्री ग्यारसीलाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड

अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 07.07.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित अपीलार्थी संख्या 1 आराजी खसरा नंबर 661 एवं अपीलार्थी संख्या 2 आराजी खसरा नम्बर 650 के काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये एवं कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में से आज दिनांक तक किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में व ना ही मौके पर अवस्थित है। उपखण्ड अधिकारी, पावटा ने अपीलान्ट्स खातेदार को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, तूंगा द्वारा तैयार की गई एक पक्षीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.06.2023 के आधार पर अपीलान्ट्स की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में अपीलान्ट्स को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमें सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। प्रार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 07.07.2023 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार पावटा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2023 के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 19.12.2024 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट्स प्रश्नगत भूमि आराजी खसरा नम्बर 661, 650 के रिकार्डेड खातेदार हैं। अतः प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा प्रश्नगत आराजी के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर ही प्रभावित खातेदारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय रूप से निजी खातेदारी की भूमि किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 07.07.2023 को दिये गये हैं। चूंकि अपीलार्थीगण खसरा नम्बर खसरा नम्बर 661, 650 के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई, सबूत, साक्ष्य एवं दस्तावेजात् इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। विधिनुसार रिकार्डेड खातेदारों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से उसकी खातेदारी की आराजी में से रास्ता कायम करना नैसर्गिक न्याय सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण विधिसम्मत् नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित खसरा नम्बर एवं तहसीलदार प्रस्ताव में अंकित खसरा नम्बर में भी भिन्नता है। अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना उचित समक्षते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः **आदेश है कि**: अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।